

9

**Encl.-01**

It is further certified that - Minutes of meeting of Majaf (Telunga) to Gholdiyani Motor Road, Length 7.900 Km. regarding FRA is as follows:-

Sl.No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1925 hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Shabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .. to annexure...	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent it.	Yes copy records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Group and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य  
(उदय रायत)  
दिहरी गढ़वाल  
जिला पंचायत जिला  
वि०ख०-प्रतापनगर (टि० ग०)  
आशा कुमार  
सदस्य  
जिला पंचायत पति

समाज कल्याण अधिकारी  
दिहरी गढ़वाल

वन विभागाधिकारी  
पोखाल राजि  
दिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी  
दिहरी गढ़वाल

(युगल किशोर पन्त)

Signature  
(Full name and official seal of the District collector)  
जिलाधिकारी  
दिहरी गढ़वाल

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

## FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector **Tehri Garhwal**

No---

Dated-28/2/15

## TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.925** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer Provincial Division, P.W.D. New Tehri** (name of user agency) for **Construction of Majaf (Telunga) to Gholdiyani Motor Road** (purpose for diversion of forest land) in **Tehri Garhwal** district falls within jurisdiction of Majaf and Gholdani village (s) in Pratap Nagar Tehsils.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.925** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

28/2/15

(युगल किशोर पन्त)  
Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

टिहरी गढ़वाल



## OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR DISTRICT TEHRI GARHWAL (U.K.)


Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the District level committee of **Tehri Garhwal** District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss **Yugal Kishor Pant** I.A.S District Collector **Tehri Garhwal** on dated 27.12.15 at time 11.A.M. at **Tehri** in which application claiming rights in **Pratap Nagar Block** area measuring **1.925** hect. for the construction of **Majaf (Telunga)** to **Gholdiyani Motor Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Pratap Nagar** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Noida Tehri




Dated: 27/12/15

  
 (युगल किशोर पन्त)  
 District Collector cum-Chairman  
 District Level Committee

### कार्यालय उप जिलाधिकारी, प्रतापनगर।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, प्रतापनगर।

आज दिनांक 18/02/2015 को जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत तेलुंगा (माजफ) से घोलडानी तक सड़क निर्माण कार्य हेतु 1.925 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी प्रतापनगर की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री बृजेश तिवारी	उप जिलाधिकारी, प्रतापनगर	
2	श्री वी० के० सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीचौरी	
3	श्री सतबीर सिंह पंवार	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, प्रतापनगर	



परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत तेलुंगा (माजफ) से घोलडानी तक सड़क निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, प्रतापनगर।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, प्रतापनगर।

उपखण्ड प्रतापनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत तेलुंगा (माजफ) से घोलडानी तक सड़क निर्माण। (1.925 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.000 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.925 हे० वन भूमि ) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील प्रतापनगर) की दिनांक 18/02/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री बृजेश तिवारी, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्री बृजेश तिवारी,	उपजिलाधिकारी, प्रतापनगर	-अध्यक्ष
2-	श्री वी०के० सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीचौरी टिहरी	-सदस्य
3-	श्री सतवीर सिंह पार	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, प्रतापनगर	-सदस्य / सचिव

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत तेलुंगा (माजफ) से घोलडानी तक सड़क निर्माण परियोजना हेतु 1.925 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड प्रतापनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत तेलुंगा (माजफ) से घोलडानी तक सड़क निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 1.925 हे० वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग नई टिहरी (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील प्रतापनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील प्रतापनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल।